न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/09/2021	2021/213	08.10.2021	24.12.2025

1.ग्यारसा पुत्र भैरू जाति मीना,
2.ग्यारसी पत्नि छोटू जाति मीना,
3.बाबूलाल पुत्र छोटू जाति मीना,
4.जोधा पुत्र मदन जाति गुवारिया,
5.राजू पुत्र श्रवण जाति गुवारिया,
6.लल्लू पुत्र श्रवण जाति गुवारिया,
7.कैलाश पुत्र प्रभात जाति गुवारिया,
8.हनुमान पुत्र पाल्या जाति कुम्हार,
9.रमेश पुत्र गंगादास जाति स्वामी,
10.विष्णु पुत्र गंगादास जाति स्वामी.
11.सुग्गाराम पुत्र कन्हैया जाति खाती,
12.जगदीश पुत्र कन्हैया जाति खाती निवासीयान नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०

—प्रार्थीगण

बनाम

1.अध्यक्ष भू आवंटन सलाहाकार समिति जर्ये उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी जिला अलवर राज.।
2.बद्री पुत्र रामपाल,
3.कन्हैया पुत्र रामपाल,
4.पूरणचन्द पुत्र रामपाल जाति रैगर निवासीयान नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र जेर नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनाथ भू—आवंटन नियम) 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश अध्यक्ष भू—आवंटन सलाहाकार समिति जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर (राज०) दिनांक 20.09.1975 को अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 ला. 4 को आराजी खसरा नम्बर साबिक 28/3 मिन रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 16 रकबा 1.26 हैक्टर वाके ग्राम नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर राज० का आवंटन किया गया।

उपस्थितः—

01. श्री के.के. शर्मा —वकील प्रार्थीगण
02. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अप्रार्थीगण
03. राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी संख्या 01

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना—पत्र जेर नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम) 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश अध्यक्ष भू—आवंटन सलाहाकार समिति जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर (राज०) दिनांक 20.09.1975 से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अन्य प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 28/3 मिन रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 16 रकबा 1.26 हैक्टर वाके ग्राम नरहट

तहसील थानागाजी जिला अलवर राज० हैं। विवादित आराजी उपरोक्त पर हम प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से आज तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी में हम प्रार्थीगण ने अपने रिहायशी मकानात बनाये हुये है। जिनमें परिवार सहित रिहायश रखते है, और मौके पर उपयोग उपभोग हर प्रकार से करते हैं। हम प्रार्थीगण उजरदार का नाम खसरा नम्बर परिवर्तनशील में दर्ज होता चला आ रहा है। विवादित आराजी वक्त आवंटन खाली नही थी, और ना आवंटन सूची में आरक्षित भूमि थी। और ना अप्रार्थीगण भूमिहीन हैं, और ना ही उनका विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व या आवंटन उपरांत आज तक कोई कब्जा रहा है। हम प्रार्थीगण आज भी विवादित आराजी पर मौके पर काबिज हैं अप्रार्थीगण गैरकाबिज एंव गैरवास्ता हैं। जिनको आवंटन उपरांत आज तक विवादित आराजी का मौके पर कब्जा नही दिया गया है, और ना ही उनके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। ना ही भू–आवंटन समिति के समक्ष पेश आवेदन में उन्होने विवादित आराजी का अंकन किया है। अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थीगण बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के हक में मात्र कागजी आवंटन किया हैं, और आवंटन आदेश पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। आवंटन फर्जी है। आवंटी के हक में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी/खातेदारी का इंतकाल तस्दीक कर अंकन किया है। विवादित आराजी को खिलाफ कानून मौका व साबिक राजस्व रिकार्ड चारागाह से सिवायचक दर्ज कर गैरकानूनी व मनमाने तरीके से आवंटन किया गया है। इसलिए आलोच्य आवंटन आदेश से हम प्रार्थीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पडता है, इसलिए अदालत श्रीमान में उजरदारी प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण को काबिज होने के नाते विवादित आराजी का प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। तथा आलौच्य आवंटन आदेश जारी रहने से अप्रार्थीगण की उपेक्षा प्रार्थीगण को बेजा हानि व परेशानी का सामना करना पडेगा।

भू–आवंटन सलाहाकर समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर राज० के आलीच्य आवंटन दिनांक 20.09.1975 के खिलाफ यह प्रार्थनापत्र उजरदारी न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। आवंटन आदेश जेर बहस उजरदारी की हम प्रार्थीगण को जानकारी दिनांक 26.03.2017 को राजस्व रिकार्ड नकालात प्राप्त करने पर हुई है। जिससे प्रार्थनापत्र उजरदारी बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। मियाद की कोई बाध्यता नहीं है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उससे पूर्व से पहले प्रार्थीगण के बुजुर्गो का कब्जा काश्त था, और उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। चूंकि विवादित आराजी में प्रार्थीगण हित निहित हैं, और प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है। जिनके द्वारा आंवटन को निरस्त कराने की कार्यवाही करने के लिए यह प्रार्थनापत्र उजरदारी पेश की जा की रही है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उससे पूर्व से पहले प्रार्थीगण के बुजुर्गों का कब्जा था. और उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है, कि जो आराजी कब्जे व मौके के खिलाफ तथा विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आवंटन आदेश पारित कर बद्री, कन्हैया एव पूरणचन्द को आंवटित कर उनके हक में इंतकाल गैर खातेदारी/खातेदारी तस्दीक कर उनके हक में राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी/खातेदारी का अंकन कर दिया गया है। जो काबिल गीर अदालत श्रीमान है।

आज्ञा भू–आवंटन सलाहाकार समिति न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ, विधि विरूद्ध एंव तथ्यों व मौके व कब्जे के विपरीत हैं, जिस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण बुजुर्गों का कब्जा सवंत 2011 से पूर्व से ही चला आ रहा था, जिस कारण प्रार्थीगण के बुजुर्ग विवादित आराजी के कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे। प्रार्थीगण के बुजुर्गों एंव उनके मरने के बाद प्रार्थीगण का कब्जा बदस्तूर चलता रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण का कब्जा है। लेकिन बिना किसी आदेश के विवादित आराजी को चारागाह से सिवायचक लगानी अंकित कर दिया, जो गत एंट्री के खिलाफ गलत कर दिया, जबकि प्रार्थीगण के बुजुर्गो के नाम ही अंकित करना चाहिये था। और उसके बाद खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द को कर दिया गया और उनके हक में इंतकाल गैर खातेदारी/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी/खातेदारी का अंकन कर दिया। जबकि आंवटन के

समय भी प्रार्थीगण के बुजुर्गों का ही कब्जा चला आ रहा था। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। सिवायचक लगानी के इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी, क्योंकि प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित काश्तकार व्यक्ति है। जो यह समझे हुये थे, कि विवादित आराजी उनके नाम ही खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द का आवंटन से पूर्व या आवंटन उपरांत आज तक कभी भी कब्जा नही रहां और ना ही वह वर्तमान में मौके पर काबिज है। ना कार्य काश्तकारी कर रहे है। लेकिन उसके बावजूद भी बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द ने कर्मचारियान आवंटन समिति से मिलकर प्रार्थनापत्र पर जो उनके द्वारा दिनांक 20.09.1975 को पेश किया गया था, पर मौके के खिलाफ कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करवाकर आंवटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश करवायी, जिसका अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी होता है, उपखण्ड अधिकारी ने भी बिना मौके की जांच किये, और बिना राजस्व पूर्व एंव उसके बाद का निरीक्षण किये दिनांक 20.09.1975 को बिना आंवटन सलाहाकर समिति के कोरम के केवल एक–दो सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर आंवटन करने का आदेश प्रदान किया। यह आदेश आवंटन सलाहाकार समिति पूर्ण कोरम के अभाव में होने के कारण एंव आंवटन से पूर्व विवादित आराजी पर प्रार्थीगण जो काबिज हैं, उन्हे बिना नोटिस दिये, यानि सुनवाई का अवसर दिये, बिना और बिना मौके की जांच किये, पारित किया है।

मौके पर अप्रार्थीगण बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द का कब्जा नही है, बल्कि प्रार्थीगण का कब्जा है। चाहे, तो श्रीमान मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवा सकते है। ऐसी स्थिति में बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के हक में अप्राची सं. द्वारा जो आवंटन आदेश दिनांक 20.09.1975 को पारित किया है, और जिस आवंटन आदेश की अनुपालना में बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है, मौके, कब्जे के खिलाफ व विधि विरुद्ध किये गये है। आवंटन सलाहाकार समिति अप्रार्थी सं.1 द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी के बारे में सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किये, और ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तु स्थिति के बारे में कोई जानकारी की गई, तथा ना ही प्रार्थीगण जो कि विवादित आराजी पर काबिज है, उन्हे नोटिस देकर सुना गया, तथा मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध आंवटन की आज्ञा पारित की गई है। तथा वक्त आवंटन विवादित आराजी खाली ही नही थी। कानूनन ऐसी आराजी का आंवटन नहीं किया जा सकता है। बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द द्वारा जो आवंटन के लिए आवेदन जमा कराया गया, उसमें भी विवादित आराजी का खसरा नम्बर व रकबा अंकित नहीं किया है। और उक्त आवंटन के बाद ना तो दखल प्राप्त किया, और ना ही उनके द्वारा काश्त की गई, ना आवंटन शर्तों की पालना की गई। बल्कि आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द भूमिहीन काश्तकार नही है। प्रार्थीगण गरीब कृषक हैं, जिनके पास उका आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी रिहायश के लिए नहीं है। जिस आराजी से ही प्रार्थीगण व उनके परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए आराजी मुतनाजा को राजस्थान सरकार के नवीन संशोधित नियमों के अनुसार प्रार्थीगण अपने नाम आवंटन कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी काबिल काश्त नहीं है, बल्कि मौके पर काफी अरसे से आबादी बनी हुई है, तथा प्रार्थी सं.10 का मंदिर मौके पर बना हुआ है। अप्रार्थीगण बद्री, कन्हैया एंव पूरणचन्द के हक में गैरकानूनी आवंटन किया गया है। आंवटन कमेटी ने आलौच्य आदेश खिलाफ, कानून मौका राजस्व रिकार्ड साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एंव नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एंव भू–आवंटन नियमों के विपरीत पारित किया है। जिससे अपास्त किये जाने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किये जावेगें। अतः प्रार्थनापत्र उजरदारी प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भू–आवंटन सलाहाकार समिति अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर राज० का आंवटन आदेश दिनांक 20.09.1975 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ला0 4 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 28/3 मिन रकबा 5 बीघा हाल नंबर 16 रकबा 1.26 है० ग्राम नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। शेष तथ्य

अ॰ ⁄ रेवेन्यू ... (प्रथम)
अलवर (राज०)

अस्वीकार है। उक्त आराजी को बिना आधार गलत तरीक पर विवादित दर्ज किया है तथा आलोच्य आवंटन आदेश पूरी तरह से विधि सम्मत है तथा मौके कब्जे एवं रिकॉर्ड के अनुरूप ही आवंटन किया गया है जो किसी तरह से अपास्त किए जाने योग्य नहीं है। चरण संख्या 2 में यह कहना कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है सरासर गलत है। प्रार्थीगण के विवादित आराजी में कोई मकान नहीं बने हुए हैं न उनकी कोई रिहायश है। यह भी गलत है कि वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा खाली नहीं थी और न आवंटन सूची में आरक्षित भूमि थी। यह भी गलत है कि मिन अप्रार्थीगण भूमिहीन नहीं थे तथा उनका आवंटन से पूर्व व आवंटन के बाद विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा हो तथा मिन अप्रार्थीगण गैरकाबिज व गैरवास्ता शख्स हों। यह भी गलत है कि आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया गया हो और केवल कागजी आवंटन किया गया हो। यह कहना भी गलत है कि विवादित आराजी चारागाह से सिवायचक दर्ज कर गैराकानूनी तरीके से आवंटन किया गया हो। यदि चारागाह से सिवायचक दर्ज की गई है तो फिर प्रार्थीगण स्वयं का अधिकार किस आधार पर जता रहे हैं और उनके कौनसे अधिकार किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं ? प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा से कोई लेना–देना किसी तरह कान तो है न कभी रहा है न उनका कोई कब्जा रहा है न उन्होंने कभी आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर कोई उपयोग उपभोग किया है। सही तथ्य यह है कि मिन अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 को राज्य सरकार ने सरकारी सिवायचक भूमि होने के कारण विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 28/3 रकबा 5 बीघा का आवंटन विधिक प्रक्रिया अनुसार भूआवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिन अप्रार्थी को भूमिहीन एवं गरीब काश्तकार मानते हुए आवंटन किया गया है जिस आवंटन को प्रार्थी निरस्त कराने का कानूनन कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है व काबिल खारिज है। यह कि चरण संख्या 3 जिस तरह वर्णित किया है, गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए विधिवत आवंटन के विरूद्ध किसी तरह का उजु या आक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए उजदारी प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। चरण संख्या 5 जिस तरह वर्णित किया है गलत है स्वीकार नहीं है। उजदारी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। आवंटन दिनांक 20.09.1975 की आरंभ से ही जानकारी पूरे ग्रामवासियों को चली आ रही है तथा प्रार्थीगण के बुजुर्गों को भी शुरू से ही जानकारी थी किन्तु उन्होंने कभी कोई उज्ज नहीं किया तथा प्रार्थीगण ने भी बालिग होने के बाद कोई उज नहीं किया। आवंटन के लगभग 42 साल बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सरीहन मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। चरण संख्या 6 जिस तरह वर्णित किया है गलत है स्वीकार नहीं है। इस चरण में प्रार्थीगण का यह कहना कि विवादित आराजी पर संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से ही बुजुर्गों का कब्जा था और उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हो। प्रार्थीगण का कभी कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थीगण किसी तरह से प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा आवंटन को निरस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। चरण संख्या 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण अथवा उनके बुजुर्गों का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा है न आज है। मिन अप्रार्थीगण को नियमानुसार विधिवत आराजी मुतनाजा का आवंटन किया गया है जिसके खिलाफ प्रार्थीगण को कोई आक्षेप करने का हक अधिकार नहीं है। चरण संख्या 8 गलत है स्वीकार नहीं है। आवंटन नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अनुसार किया गया है जिसे प्रार्थीगण निरस्त कराने के कतई अधिकारी नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। चरण संख्या 9 जिस तरह वर्णित किया है गलत है स्वीकार नहीं है। जिमन हाजा में तथ्यों की पूर्व के जिमनों में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई है। ऊपर के चरणों में विस्तृत जवाब दिया जा चुका है। इस चरण में यह कहना कि प्रार्थीगण अशिक्षित हैं सरासर गलत है। प्रार्थीगण में कई तो अच्छे पढे लिखे हैं तथा प्रार्थीगण के बुजुर्ग भी अनपढ या नासमझ नहीं थे। चरण संख्या 10 गलत है स्वीकार नहीं है। यह कहना गलत है कि पटवारी हल्का से व आवंटन समिति के कर्मचारियों से मिल्लत करके आवंटन कराया गया हो। यह गलत है कि बिना कोरम के केवल एक–दो सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर आवंटन आदेश करा लिया गया हो। आवंटन बाकायदा नियमों का पूरा पालन करते हुए व पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया था। प्रार्थीगण गैरकाबिज

अ... [illegible]
अलवर (राज०)

गैरवास्ता हैं। सही तथ्य यह है कि विवादित आराजी का आवंटन विधि अनुसार प्रक्रियों का पूरा पालन करते हुए मिन अप्रार्थीगण को किया गया है। मिन अप्रार्थीगण आवंटन से पूर्व से ही अरसे दराज से विवादित आराजी पर काबिज रहकर विवावदित आराजी का उपयोग उपभोग बदस्तूर बेरोकटोक करते चले आ रहे हैं। इसलिए आवंटन को प्रार्थीगण किसी तरह से निरस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

चरण संख्या 11 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। आवंटन आदेश व उसकी पालना में राजस्व अभिलेख में हुए इन्द्राजात सही एवं मौका अनुसार है। प्रार्थीगण आलोच्य आवंटन आदेश को निरस्त कराने के अधिकारी नहीं है। चरण संख्या 12 गलत है स्वीकार नहीं है। यह गलत है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ नोटिस दिये बगैर आवंटन किया गया हो बल्कि मौका देखा जाकर रिपोर्ट मौका कब्जा अनुसार नियमानुसार व विधि सम्मत तरीके से विवादित आराजी का आवंटन विधि अनुसार प्रक्रियों का पूरा पालन करते हुए मिन अप्रार्थीगण को किया गया था। मिन अप्रार्थीगण आवंटन से पूर्व से ही अरसे दराज से विवादित आराजी पर काबिज रहकर विवावदित आराजी का उपयोग उपभोग बदस्तूर बेरोकटोक करते चले आ रहे हैं। इसलिए आवंटन को प्रार्थीगण किसी तरह से निरस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। चरण संख्या 13 में भी तमाम तथ्य गलत, मनमाने एवं खिलाफ मौका कब्जा दर्ज किए गए हैं। आवंटन बाकायदा आवंटन शर्तों का पालन करते हुए किया गया है। यह कहना गलत है कि मौके पर दखल प्राप्त नहीं किया गया हो। यह कहना गलत है कि बद्री, कन्हैया व पूरणचन्द भूमिहीन नहीं हो और प्रार्थीगण का ही आराजी मुतनाजा पर कब्जा चला आ रहा हो। प्रार्थीगण आवंटन आदेश को निरस्त कराने के अधिकारी कतई नहीं हैं। चरण संख्या 14 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा है न आज कब्जा है। इसलिए यह कहना कि आराजी मुतनाजा से उनके परिवार का पालन पोषण होता है, सरासर गलत व निराधार है। मिन अप्रार्थीगण को आवंटन नियमानुसार किया गया है, जिस आवंटन आदेश को प्रार्थीगण निरस्त कराने के कतई अधिकारी नहीं हैं। चरण संख्या 15 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी सं० 10 का नाम विष्णु अवश्य है किन्तु वह न तो भगवान है न भगवान का अवतार है बल्कि प्रार्थी सं० 10 एक सामान्य व्यक्ति है और जीवित इंसान का मंदिर कभी नहीं बनता है। हालांकि मौके पर कोई मंदिर नहीं है। बल्कि विवादित आराजी काश्त की भूमि है और बदस्तूर काश्त के ही उपयोग में आ रही है। चरण संख्या 16 गलत है स्वीकार नहीं है। आवंटन आदेश किसी तरह से खिलाफ कानून, मौका व खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड एवं न्यायिक सिद्धांतों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान टीनेंसी एक्ट व एवं लैण्ड रेवन्यू एक्ट एवं आवंटन नियमों के किसी तरह से विपरीत नहीं है। विधि सम्मत आवंटन आदेश को प्रार्थीगण किसी तरह से निरस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं। चरण संख्या 17 विधि विरूद्ध है। अंतिम चरण बाबत प्रार्थना है। प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

(अतिरिक्त कथन) विवादित आराजी खसरा नंबर 28/3 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 16 रकबा 1.26 है0 कायम हुए हैं वाके ग्राम नरहट तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है जो सरकारी सिवायचक बारानी सोयम भूमि काबिल काश्त भूमि थी जिसे भूआवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग में काश्तकारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आवंटन किया गया था। आवंटन आदेश पर सलाहकार समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष एसडीओ साहब के हस्ताक्षर हो रहे हैं। आवसंटन करने के बाद नियमानुसार मौके पर कब्जा मिन अप्रार्थी संख्या 2 ला0 4 को दिया गया तथा आवंटन के बाद कब्जा लेने के बाद पहले नियमानुसार गैरखातेदारी का नामान्तकरण मिन अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4/आवंटियों के नाम स्वीकार हुआ जिसका अमल तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2047 में करते हुए अप्रार्थी बद्री, कन्हैया व पूरणचन्द पुत्रान रामपाल रैगर निवासीयान ग्राम नरहट बहिस्सा बराबर साकिन देह गैरखातेदार अलोटी का अंकन किया गया। आवंटी अप्रार्थी संख्या 2 ला० 4 का विवादित आराजी पर कब्जा बदस्तूर वक्त आवंटन से चला आ रहा है तथा तहसीलदार साहब द्वारा मौके पर आवंटी का कब्जा बदस्तूर चला आने की रिपोर्ट पर आवंटी अप्रार्थी संख्या 2 ला0 4 के हक में खातेदारी का इंतकाल संख्या 230 दर्ज किया गया जिसे बाद मिलान स्वीकार किया गया और इसका अमल तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2054 में आवंटी बद्री, कन्हैया व पूरणचन्द

अलवर (राज०)

पुत्रान रामपाल रैगर निवासीयान ग्राम नरहट बहिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार अलोटी का अंकन किया गया, जो इन्द्राजात बदस्तूर आज दिन तक खातेदार काश्तकार के रूप में चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 खाता संख्या 76 में विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 16 करवा 1.26 है० अप्रार्थी संख्या 2 ला0 4 बद्री, कन्हैया व पूरणचन्द पुत्रान रामपाल रैगर निवासीयान ग्राम नरहट के नाम खातेदार काश्तकार का अंकन चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ला0 4 के नाम विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकन चला आ रहा है जिसकी ताईद जमाबन्दीयात से हो रही है तथा राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी आवंटी के नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से नाम आ गया है तो उसके खिलाफ उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में कई नजीरें माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय की हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौके कब्जे के खिलाफ एवं विधिक प्रक्रिया के खिलाफ पेश किए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्य वजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जायेंगे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज किया जाकर मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से माकूल विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावे। कृपा होगी।

पत्रावली में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। बहस पूर्ण।

वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 तथा 4 के पक्ष में भू–आवंटन सलाहकार समिति, थानागाजी द्वारा दिनांक 20.09.1975 को आराजी खसरा नंबर 28/3 मिन (वर्तमान खसरा नंबर 16) रकबा 1.26 है0, ग्राम नरहट के संबंध में किए गए आवंटन को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि विवादित भूमि पर उनके पूर्वजों का कब्जा संवत 2011–12 से निरंतर चला आ रहा है और वहां उनके रिहायशी मकान बने हुए हैं। उनका आरोप है कि आवंटन के समय भूमि खाली नहीं थी, अप्रार्थीगण भूमिहीन नहीं थे, और आवंटन प्रक्रिया में नियमों की पालना नहीं की गई। प्रार्थीगण ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें इस आवंटन की जानकारी 26.03.2017 को राजस्व नकल प्राप्त करने पर हुई, अतः प्रार्थना पत्र मियाद के भीतर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 तथा 4 ने दौराने बहस कथन किया कि आवंटन 42 वर्ष पूर्व विधिक प्रक्रिया के तहत हुआ था। भूमि सरकारी सिवायचक थी और आवंटन के पश्चात नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर पहले गैर–खातेदारी और तत्पश्चात संवत 2054 में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। अप्रार्थीगण का कहना है कि वे भूमिहीन श्रेणी में थे और वर्तमान में भी राजस्व रिकॉर्ड (संवत 2076) में खातेदार के रूप में दर्ज हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का मिलान किया गया। आलोच्य आवंटन वर्ष 1975 का है, जबकि चुनौती वर्ष 2017 में दी गई है। प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हें 42 साल बाद जानकारी हुई, विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं प्रतीत होता। राजस्व रिकॉर्ड एक सार्वजनिक दस्तावेज है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम हीरालाल' में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, दशकों पुराने आवंटन को बिना किसी ठोस कारण के केवल विलम्ब के आधार पर ही निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण ने स्वयं को काबिज बताया है, किंतु उनके द्वारा संवत 2012 या उसके बाद का कोई ऐसा पुख्ता राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जो यह सिद्ध करे कि आवंटन के समय भूमि पर उनका वैध या अवैध कब्जा था। इसके विपरीत, अप्रार्थीगण के पक्ष में संवत 2047 से निरंतर इंतकाल और जमाबंदी की प्रविष्टियां मौजूद हैं। प्रार्थीगण का यह आरोप कि आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर नहीं हैं या कोरम पूरा नहीं था, मात्र मौखिक कथन है। 40 वर्ष बाद सरकारी रिकॉर्ड के विरुद्ध ऐसी मौखिक दलीलें तब तक स्वीकार्य नहीं हैं जब तक कि रिकॉर्ड से ही जालसाजी सिद्ध न हो। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1790 के तहत जिला कलेक्टर को आवंटन रद्द करने की शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग एक "उचित समय" के भीतर किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में 42 वर्षों का अंतराल "उचित समय" की परिभाषा से बहुत परे है। साथ ही, अप्रार्थीगण अब पूर्ण

21/01/25

'खातेदार' बन चुके हैं। कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार लंबे समय से चली आ रही प्रविष्टियों को नहीं बदला जाना चाहिए। प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि आवंटन में कोई ऐसी गंभीर विधिक त्रुटि थी जो 42 साल बाद न्याय के हित में इसे निरस्त करना आवश्यक बना दे। प्रार्थना पत्र 14(4) का कोई ठोस आधार एवं तथ्य नही है, न ही कब्जे के संबंध में कोई प्रमाणित तथ्य हैं। आवंटी को पूर्व में ही विधिवत खातेदारी के अधिकार दिये जा चुके हैं। खातेदारी निरस्त किया जाना उचित नहीं प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र में आवंटन को खारिज करने के कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम)
अलवर (राज0)